न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/434

1. देवीशंकर आयु 70 वर्ष आत्मज श्री धूली लाल जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
2. राजेन्द्र आयु 48 वर्ष आत्मज देवीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
3. कमलेश आयु 45 वर्ष आत्मज श्री देवीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मंजू देवी आयु 45 वर्ष विधवा श्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
2. श्री अनुराग आयु 19 वर्ष आत्मज श्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
3. मीना आयु 28 वर्ष पुत्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
4. राधा आयु 25 वर्ष पुत्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
5. अनिता आयु 22 वर्ष पुत्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
6. प्रिया आयु 20 वर्ष पुत्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
7. आकांक्षा आयु 18 वर्ष पुत्री श्यामसुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
8. श्री रमेश आयु 50 वर्ष आत्मज श्री देवीशंकर जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
9. राममूर्ति आयु 42 वर्ष पत्नी हरीश जाति ब्राह्मण निवासी श्योपुरिया की बावडी नैनवा रोड, बून्दी ।
10. कैलाश चन्द शर्मा टीकडवाले आत्मज श्री छगना जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली ।
11. श्री कमलेश आत्मज सत्यनारायण जाति कलाल निवासी बस स्टेण्ड पैट्रोलपम्प के पास हिण्डोली ।
12. श्री सुरेश आत्मज श्री औंकार जाति खाती निवासी शिवराज नगर हिण्डोली ।
13. श्री कमलेश आत्मज श्री रामनाथ जाति तेली निासी सहसपुरिया तहसील हिण्डोली ।
14. श्री बदरी आत्मज श्री खाना जाति माली निवासी हिण्डोली ।
15. उप पंजीयक तहसील, हिण्डोली जिला बून्दी ।
16. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सोहन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द नामधाराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 05.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 2293/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प मु0 अटल सेवा केन्द्र हिण्डोली में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण जवाबदावा प्राप्त करने एवं शेष प्रतिवादीगण की तलबी में ही विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुए उक्त प्रकरण को पक्षकारान की बिना सहमति के राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.07.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण को पक्षकारान की सहमति से राजस्व लोक अदालत में रखा गया था और उसी लोक अदालत की भावना से ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.07.2015 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प मु0 अटल सेवा केन्द्र हिण्डोली में रखते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया।

स्थ न्यायालय में प्रकरण तलबी एवं जवाबदावा में विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय जवाबदावा प्राप्त किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणावुण के आधार पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त कर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा